राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर

क्रमांकःप.8(ग)( )(PSKS)अभियान–2021नियम/डीएलबी/21/73822 दिनांकः 06/12/2021

संशोधित परिपत्र

राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 60–सी, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 54–ई, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 50–बी, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 50–बी एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69–ए तथा इसके अन्तर्गत विरचित नियम Rajasthan Municipalities (Surrender of Non-Agricultural Land and Grant of Freehold Lease) Rules, 2015 के अन्तर्गत जारी विभागीय परिपत्र प.8(ग)( )(PSKS)अभियान–2021नियम/डीएलबी/21/68191 दिनांक 27.09.2021 के बिन्दु संख्या 6 (iii) में संशोधित करते हुए आदेश जारी किये जाते हैं कि दिनांक 31.12.18 तक की सम्पतियों के पूर्व में नगरीय निकाय द्वारा जारी स्टेट ग्रान्ट के पट्टे/निर्माण स्वीकृतियां, पंचायत द्वारा जारी पट्टे तथा कृषि भूमि रूपान्तरण नियम, 1971,1981,1992 एवं 2007 के तहत जारी संपरिवर्तन आदेश की सम्पतियों के मूल सम्पतिधारक अथवा उनके उत्तराधिकारी अथवा उनसे जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र से सम्पति क्रय करने वाले व्यक्तियों द्वारा, अपनी ऐसी सम्पतियों के दस्तावेज समर्पण कर फ्री–होल्ड पट्टे के लिए आवेदन करने पर समाचार पत्र में आपत्ति सूचना जारी नही की जावें तथा सीधे पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही की जावे।

उपरोक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के लोगो के आवेदन पर सात दिवस की आपत्ति सूचना एक स्थानीय समाचार पत्र के संस्करण में आवेदक के खर्चे पर प्रकाशित करायी जावे। यह संशोधन अभियान अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकःप.8(ग)( )(PSKS)अभियान–2021/नियम/डीएलबी/21/73823-74311 दिनांकः 06/12/2021
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/ विकास प्राधिकरण।
7. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
8. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
9. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
10. सचिव, नगरीय विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
11. प्रोग्रामर को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

D/PSKS2021/letter